प्रेषिक,

जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्र संख्या १०४५८ /न्याय अनु0–7/(पत्रा0 सं0–)/2024 दिनांक ०९ अगस्त, 2024
Email id: dm-usn-ua@nic.in फोन नं0–05944–242344/ फैक्स नं0–05944–250408

विषय:– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–586/2024 Samarpal Singh Grewal and Ors. Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–586/2024 Samarpal Singh Grewal and Ors. Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त आदेशों के क्रम में इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या 291 दिनांक 29 जुलाई, 2024 के द्वारा उप जिलाधिकारी काशीपुर तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर को सदस्य नामित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर के पत्रांक 228 दिनांक 08.08.2024 के माध्यम से उक्त नामिति सदस्यों की संयुक्त स्थल निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

स्थल निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. तहसील–काशीपुर के अन्तर्गत एन.एच.–74 पर स्थापित आई.जी.एल. मैटेरियल गैट के पास रेलवे फाटक से प्रारम्भ होकर ग्राम–मुकुन्दपुर को जाने वाली अनमैटल्ड सड़क स्थापित है, जो कि रेलवे फाटक से पूरब की ओर रेलवे लाईन से लगी हुयी लगभग 1 किमी. तक ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–41 पर रेलवे की भूमि तथा ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–10 पर है तथा उसके पश्चात् उत्तर की ओर ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–16 तथा 29 से होते हुए ग्राम–ऐहतमाली के खसरा संख्या–5 तथा 6 से होते हुए लगभग 3 किमी. तक तहसील–बाजपुर के ग्राम–मुकुन्दपुर की ओर जाती है। उक्त सड़क के दोनो ओर कृषि भूमि तथा शिकायतकर्ता के घर सहित 2–3 घर स्थापित हैं। शिकायकर्ता का घर ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–26 पर स्थापित है।

2. निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री समरपाल सिंह ग्रेवाल द्वारा अवगत कराया गया कि खनन अवधि के दौरान सड़क पर खनन वाहनों के अधिकाधिक परिवहन से तथा उनके द्वारा गिराये जाने वाले रेत–बजरी आदि से अत्याधिक धूल उत्पन्न होती है तथा अत्याधिक मात्रा में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग मै0 देवभूमि आयल कम्पनी तथा मै0 आई.जी.एल. के बायोकम्पोस्टिंग प्लान्ट को जाने वाले वाहनों सहित उत्तर प्रदेश के सीमान्तर्गत स्थापित स्टोन केशर का भी दबाव इसी सड़क पर रहता है।

3. निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्तानुसार एन.एच.–74 से ग्राम–मुकुन्दपुर को जाने वाली सड़क अनमैटल्ड है, जिस कारण खनन वाहनों, उद्योगों एवं अन्य सामान्य परिवहन से धूल उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यद्यपि वर्तमान में खनन कार्य बन्द होने के कारण वाहनों का संचालन दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त बर्षाऋतु का मौसम होने के कारण भी धूल सामान्य रूप में पायी गयी, किन्तु खनन के दौरान तथा गैर वर्षा काल में खनन वाहनों के संचालन से उनके द्वारा सड़क पर गिराये जाने वाले आर.बी.एम. रेता, बजरी आदि तथा अन्य परिवहन से धूल उत्पन्न होने की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता है।

4. इससे पूर्व भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त क्षेत्र के राज्यान्तर्गत स्टोन केशरों एवं सम्बन्धित ईकाईयों को अपने वाहनों को ढककर संचालित किये जाने एवं इस प्रकार संचालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, कि जिससे धूल उत्पन्न न हो। कच्ची सड़क द्वारा उत्पन्न धूल नियंत्रण के लिए यह नाकाफी है, जबकि इसके अतिरिक्त उक्त सड़क का प्रयोग उत्तर–प्रदेश सीमान्तर्गत स्थापित स्टोन केशरों एवं अन्य सामान्य परिवहन द्वारा भी किया जाता है।

5. उक्त सड़क पर आधारित उत्तराखण्ड के तीन स्टोन केशर, एक आयल कम्पनी संचालित है, जिन्हे उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त है। मै0 आई.जी.एल. कम्पनी का कम्पोस्टिंग प्लान्ट वतर्ममान में संचालन में नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम–मुकुन्दपुर की सीमा से लगे हुए ग्राम–पट्टीकला, तहसील–स्वार, जिला–रामपुर के चार स्टोन केशर भी संचालित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त सड़क से उत्पन्न होने वाली धूल के नियंत्रण हेतु मैटालिक सड़क का निर्माण किया जाना तथा उसके उचित रखरखाव हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाना उचित होगा।

उक्त आख्या के क्रम में मैटालिक सड़क निर्माण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है।

अतः उक्तानुसार आख्या नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

संलग्नक–1–संयुक्त स्थलीय आख्या
2–सम्बन्धित स्थल का नजरी नक्शा।
3–निरीक्षण के दौरान ली गयी फोटोग्राफ्स।

भवदीय,

(उदयराज सिंह)
जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

3. निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्तानुसार एन.एच.–74 से ग्राम–मुकुन्दपुर को जाने वाली सड़क अनमैटल्ड है, जिस कारण खनन वाहनों, उद्योगों एवं अन्य सामान्य परिवहन से धूल उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यद्यपि वर्तमान में खनन कार्य बन्द होने के कारण वाहनों का संचालन दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त बर्षाऋतु का मौसम होने के कारण भी धूल सामान्य रूप में पायी गयी, किन्तु खनन के दौरान तथा गैर वर्षा काल में खनन वाहनों के संचालन से उनके द्वारा सड़क पर गिराये जाने वाले आर.बी.एम. रेता, बजरी आदि तथा अन्य परिवहन से धूल उत्पन्न होने की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता है।

4. इससे पूर्व भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त क्षेत्र के राज्यान्तर्गत स्टोन केशरों एवं सम्बन्धित ईकाईयों को अपने वाहनों को ढककर संचालित किये जाने एवं इस प्रकार संचालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, कि जिससे धूल उत्पन्न न हो। कच्ची सड़क द्वारा उत्पन्न धूल नियंत्रण के लिए यह नाकाफी है, जबकि इसके अतिरिक्त उक्त सड़क का प्रयोग उत्तर–प्रदेश सीमान्तर्गत स्थापित स्टोन केशरों एवं अन्य सामान्य परिवहन द्वारा भी किया जाता है।

5. उक्त सड़क पर आधारित उत्तराखण्ड के तीन स्टोन केशर, एक आयल कम्पनी संचालित है, जिन्हे उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त है। मै0 आई.जी.एल. कम्पनी का कम्पोस्टिंग प्लान्ट वतर्ममान में संचालन में नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम–मुकुन्दपुर की सीमा से लगे हुए ग्राम–पट्टीकला, तहसील–स्वार, जिला–रामपुर के चार स्टोन केशर भी संचालित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त सड़क से उत्पन्न होने वाली धूल के नियंत्रण हेतु मैटालिक सड़क का निर्माण किया जाना तथा उसके उचित रखरखाव हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाना उचित होगा।

उक्त आख्या के क्रम में मैटालिक सड़क निर्माण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है।

अतः उक्तानुसार आख्या नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

संलग्नक–1–संयुक्त स्थलीय आख्या
2–सम्बन्धित स्थल का नजरी नक्शा।
3–निरीक्षण के दौरान ली गयी फोटोग्राफ्स।

भवदीय,

(उदयराज सिंह)
जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
चामुण्डा काम्पलैक्स, रामनगर रोड़
काशीपुर, उधमसिंहनगर।

पत्रांक- यू.के.पी.सी.बी./आर.ओ.के./ रिट-91/24/228 दिनांक 8/8/24

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
उधमसिंहनगर।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-586/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-586/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

उक्त आदेशों के क्रम में नोडल एजेन्सी जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंहनगर द्वारा नामित सदस्य उपजिलाधिकारी, काशीपुर तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड मुख्यालय, देहरादून द्वारा नामित सदस्य क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा दिनांक 03.08.2024 को संयुक्त रूप से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण आख्या, सम्बन्धित स्थल का नजरी नक्शा व निरीक्षण के दौरान ली गयी फोटोग्राफ्स आदि आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
8/8/24
(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–586/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 के सम्बन्ध में।

उक्त विषयगत प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.07.2024 द्वारा प्रकरण पर निम्नानुसार संयुक्त जांच समीति का गठन किया गया।

1. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

उक्त के अनुपालन में प्रकरण पर नोडल एजेन्सी जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंहनगर के पत्र दिनांक 29.07.2024 के माध्यम से संयुक्त जांच हेतु उपजिलाधिकारी, काशीपुर को नामित किया गया तथा बोर्ड मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.07.2024 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को नामित किया गया। प्रकरण पर दिनांक 03.08.2024 को शिकायतकर्ता श्री समरपाल सिंह ग्रेवाल से सम्पर्क करतें हुए जांच समीति द्वारा सम्बन्धित स्थल निरीक्षण का किया गया। आख्या निम्नवत् है।

1. तहसील–काशीपुर के अन्तर्गत एन.एच.–74 पर स्थापित आई.जी.एल. मैटेरियल गैट के पास रेलवे फाटक से प्रारम्भ होकर ग्राम–मुकुन्दपुर को जाने वाली अनमैटल्ड सड़क स्थापित है, जो कि रेलवे फाटक से पूरब की ओर रेलवे लाईन से लगी हुयी लगभग 1 किमी. तक ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–41 पर रेलवे की भूमि तथा ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–10 पर है तथा उसके पश्चात् उत्तर की ओर ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–16 तथा 29 से होते हुए ग्राम–ऐहतमाली के खसरा संख्या–5 तथा 6 से होते हुए लगभग 3 किमी. तक तहसील–बाजपुर के ग्राम–मुकुन्दपुर की ओर जाती है। उक्त सड़क के दोनो ओर कृषि भूमि तथा शिकायतकर्ता के घर सहित 2–3 घर स्थापित हैं। शिकायकर्ता का घर ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–26 पर स्थापित है।
2. निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री समरपाल सिंह ग्रेवाल द्वारा अवगत कराया गया कि खनन अवधि के दौरान सड़क पर खनन वाहनों के अधिकाधिक परिवहन से तथा उनके द्वारा गिराये जाने वाले रेत–बजरी आदि से अत्याधिक धूल उत्पन्न होती है तथा अत्याधिक मात्रा में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग मै0 देवभूमि आयल कम्पनी तथा मै0 आई.जी.एल. के बायोकम्पोस्टिंग प्लान्ट को जाने वाले वाहनों सहित उत्तर प्रदेश के सीमान्तर्गत स्थापित स्टोन क्रेशर का भी दबाव इसी सड़क पर रहता है।
3. निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्तानुसार एन.एच.–74 से ग्राम–मुकुन्दपुर को जाने वाली सड़क अनमैटल्ड है, जिस कारण खनन वाहनों, उद्योगों एवं अन्य सामान्य परिवहन से धूल उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यद्यपि वर्तमान में खनन कार्य बन्द

होने के कारण वाहनों का संचालन दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त बर्षाऋतु का मौसम होने के कारण भी धूल सामान्य रूप में पायी गयी, किन्तु खनन के दौरान तथा गैर वर्षा काल में खनन वाहनों के संचालन से उनके द्वारा सड़क पर गिराये जाने वाले आर.बी.एम. रेता, बजरी आदि तथा अन्य परिवहन से धूल उत्पन्न होने की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता है।

4. इससे पूर्व भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त क्षेत्र के राज्यान्तर्गत स्टोन क्रेशरों एवं सम्बन्धित ईकाईयों को अपने वाहनों को ढककर सचांलित किये जाने एवं इस प्रकार संचालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, कि जिससे धूल उत्पन्न न हो। कच्ची सड़क द्वारा उत्पन्न धूल नियंत्रण के लिए यह नाकाफी है, जबकि इसके अतिरिक्त उक्त सड़क का प्रयोग उत्तर–प्रदेश सीमान्तर्गत स्थापित स्टोन क्रेशरों एवं अन्य सामान्य परिवहन द्वारा भी किया जाता है।
5. उक्त सड़क पर आधारित उत्तराखण्ड के तीन स्टोन क्रेशर, एक आयल कम्पनी संचालित है, जिन्हे उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त है। मै0 आई.जी.एल. कम्पनी का कम्पोस्टिंग प्लान्ट वतर्ममान में संचालन में नही है। इसके अतिरिक्त ग्राम–मुकुन्दपर की सीमा से लगे हुए ग्राम–पट्टीकला, तहसील–स्वार, जिला–रामपुर के चार स्टोन क्रेशर भी संचालित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त सड़क से उत्पन्न होने वाली धूल के नियंत्रण हेतु मैटालिक सड़क का निर्माण किया जाना तथा उसके उचित रखरखाव हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाना उचित होगा।

सम्बन्धित स्थल का नजरी नक्शा, निरीक्षण के दौरान ली गयी फोटोग्राफ्स आदि संलग्न है।

(राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र दभौरा, काशीपुर।

(तहसीलदार)
काशीपुर।

(क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर।

(उपजिलाधिकारी)
काशीपुर।

नजरीय नक्शा

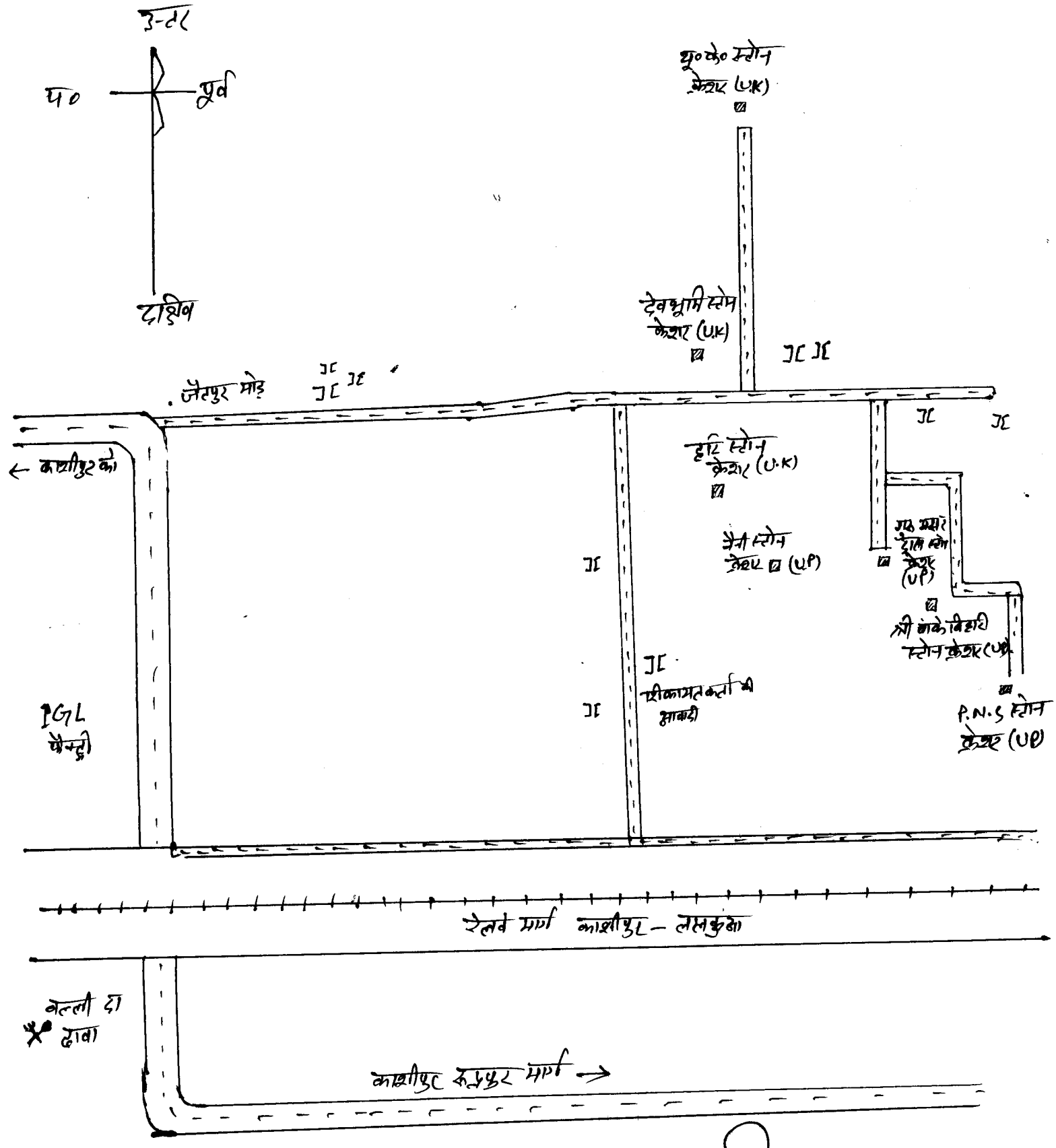

R.I.
गौरव कुमार
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-ढकिया तहसील काशीपुर

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Chamunda Complex, Ramnagar Road
Kashipur, US Nagar,

पंत्राक-यूकेपीसीबी/आर.ओ.के./2023-24/ शि-216/594 दिनांक 16/1/24

सेवा में

1. मै0 देवभूमि एग्रो आयल प्रा0 लि0, खसरा नं0-7/1मिन, मुकन्दपुर, बाजपुर, उधमसिंहनगर।
2. मै0 देवभूमि स्टोन केशर, ग्राम-दभौरा मुस्तहकम, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
3. मै0 यू.के. स्टोन केशर, ग्राम-दभौरा मुस्तहकम, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
4. मै0 नैनी स्टोन केशर, ग्राम-दभौरा मुस्तहकम, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
5. मै0 गुरू अमरदास स्टोन केशर, ग्राम-दभौरा मुस्तहकम, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
6. मै0 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड, बाजपुर रोड काशीपुर उधमसिंहनगर।

विषय- श्री समरपाल सिंह ग्रेवाल, दभौरा, मुस्तहकम, काशीपुर के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र जो कि उपजिलाधिकारी कार्शापुर, के पत्रांक-01/ना0ना0/2023 एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एचओ/शिकायती-01-2023-1008 दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से आपके उद्योगों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि भारी वाहनों के संचालन से धूल, सडक टूट्ने तथा ध्वनि प्रदूषण आदि की समस्या हो रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि परिसर के आस पास धूल नियंत्रण हेतु नियमित जल छिडकाव किया जायें। केशरों/उद्योगों को आने-जाने वाले वाहनों को ढककर नियमुनसार इस प्रकार संचालित कराया जांये, जिससे उक्त वाहनो के संचालन से समीपवर्ती निवासियों को धूल आदि से किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

भवदीय,

(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि-1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी काशीपुर उधमसिंहनगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. श्री समरपाल सिंह ग्रेवाल, ग्राम-दभौरा मुस्तहकम, काशीपुर, उधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

08/01/24
AEE-II

Email id: dm-usn-ua@nic.in
फोन नं0–05944–242344 / फैक्स नं0–05944–250408

कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।

पत्र संख्या ।०४५। /न्याय अनु0–7/(पत्रा0 सं0–)/2024 दिनांक ०१ अगस्त, 2024

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–586/2024 Samarpal Singh Grewal and Ors. Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 के सम्बन्ध में।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लोक निर्माण विभाग ,
काशीपुर।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–586/2024 Samarpal Singh Grewal and Ors. Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 के अनुपान में इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या 291 दिनांक 29 जुलाई, 2024 के द्वारा उप जिलाधिकारी काशीपुर तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर को सदस्य नामित किया गया।

नामिति सदस्यों द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि तहसील–काशीपुर के अन्तर्गत एन.एच.–74 पर स्थापित आई.जी.एल. मैटेरियल गैट के पास रेलवे फाटक से प्रारम्भ होकर ग्राम–मुकुन्दपुर को जाने वाली अनमैटल्ड सड़क स्थापित है, जो कि रेलवे फाटक से पूरब की ओर रेलवे लाईन से लगी हुयी लगभग 1 किमी. तक ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–41 पर रेलवे की भूमि तथा ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–10 पर है तथा उसके पश्चात् उत्तर की ओर ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–16 तथा 29 से होते हुए ग्राम–ऐहतमाली के खसरा संख्या–5 तथा 6 से होते हुए लगभग 3 किमी. तक तहसील–बाजपुर के ग्राम–मुकुन्दपुर की ओर जाती है। उक्त सड़क के दोनो ओर कृषि भूमि तथा शिकायतकर्ता के घर सहित 2–3 घर स्थापित हैं। शिकायकर्ता का घर ग्राम–दभौरा मुस्तकम के खसरा संख्या–26 पर स्थापित है।

2. निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री समरपाल सिंह ग्रेवाल द्वारा अवगत कराया गया कि खनन अवधि के दौरान सड़क पर खनन वाहनों के अधिकाधिक परिवहन से तथा उनके द्वारा गिराये जाने वाले रेत–बजरी आदि से अत्याधिक धूल उत्पन्न होती है तथा अत्याधिक मात्रा में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग मै0 देवभूमि आयल कम्पनी तथा मै0 आई.जी.एल. के बायोकम्पोस्टिंग प्लान्ट को जाने वाले वाहनों सहित उत्तर प्रदेश के सीमान्तर्गत स्थापित स्टोन केशर का भी दबाव इसी सड़क पर रहता है।

3. निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्तानुसार एन.एच.–74 से ग्राम–मुकुन्दपुर को जाने वाली सड़क अनमैटल्ड है, जिस कारण खनन वाहनों, उद्योगों एवं अन्य सामान्य परिवहन से धूल उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यद्यपि वर्तमान में खनन कार्य बन्द होने के कारण वाहनों का संचालन दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त बर्षाऋतु का मौसम होने के कारण भी धूल सामान्य रूप में पायी गयी, किन्तु खनन के दौरान तथा गैर वर्षा काल में खनन वाहनों के

संचालन से उनके द्वारा सड़क पर गिराये जाने वाले आर.बी.एम. रेता, बजरी आदि तथा अन्य परिवहन से धूल उत्पन्न होने की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता है।

4. इससे पूर्व भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त क्षेत्र के राज्यान्तर्गत स्टोन केशरों एवं सम्बन्धित ईकाईयों को अपने वाहनों को ढककर संचालित किये जाने एवं इस प्रकार संचालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, कि जिससे धूल उत्पन्न न हो। कच्ची सड़क द्वारा उत्पन्न धूल नियंत्रण के लिए यह नाकाफी है, जबकि इसके अतिरिक्त उक्त सड़क का प्रयोग उत्तर–प्रदेश सीमान्तर्गत स्थापित स्टोन केशरों एवं अन्य सामान्य परिवहन द्वारा भी किया जाता है।

5. उक्त सड़क पर आधारित उत्तराखण्ड के तीन स्टोन केशर, एक आयल कम्पनी संचालित है, जिन्हे उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त है। मै0 आई.जी.एल. कम्पनी का कम्पोस्टिंग प्लान्ट वतर्ममान में संचालन में नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम–मुकुन्दपुर की सीमा से लगे हुए ग्राम–पट्टीकला, तहसील–स्वार, जिला–रामपुर के चार स्टोन केशर भी संचालित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त सड़क से उत्पन्न होने वाली धूल के नियंत्रण हेतु मैटालिक सड़क का निर्माण किया जाना तथा उसके उचित रखरखाव हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त आख्या के क्रम में मैटालिक सड़क निर्माण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(डॉ0अमृता शर्मा)
प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।